कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा / माध्य / छा.प्रो.प्र. / NMMSS / 2024–25 / 9 दिनांकः यथाहस्ताक्षर

नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कोलरशिप स्कीम NMMSS 2025 चयन परीक्षा हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश

नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कोलरशिप स्कीग (NMMSS) 2025 चयन परीक्षा हेतु शालादर्पण पोर्टल पर विद्यालय लोगिन से संस्था प्रधान द्वारा 20.11.2024 से दिनांक 10.12.2023 तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेगें।

परिचय–नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कोलरशिप (NMMS) एक केन्द्र प्रायोजित योजना है। इसकी शुरूआत मई 2008 में की गई थी। स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा इसका संचालन एवं क्रियान्वयन किया जाता है। निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर इसके राज्य नोडल अधिकारी है। सभी जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक(मु.) जिला नोडल अधिकारी (DNO) हैं । अतः जिला स्तर पर संचालन व मोनिटरिगं DNO/DEO द्वारा की जाती हैं।

उद्देश्य–इस छात्रवृत्ति का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को अपनी उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा को पूरा करने के लिये प्रेरित करना है, ताकि कक्षा 8 के बाद स्कूलों की ड्रॉप आउट दर कम हो सके। प्रत्येक वर्ष कक्षा 8 में अध्ययनरत विद्यार्थी की राज्य स्तर पर चयन परीक्षा होती है। इस परीक्षा में चयनित विद्यार्थी को कक्षा 9 से 12 वीं तक राजकीय विद्यालय में नियमित अध्ययनरत रहने पर NMMSS छात्रवृति प्रदान की जाती है।

छात्रवृत्ति राशि –एनएमएमएस में चयनित विद्यार्थियों को कक्षा 9 से 12 वीं तक नियमित अध्ययनरत रहने पर नियमानुसार 12000/– रूपये प्रति वर्ष की दर से छात्रवृत्ति मिलती है। NMMSS छात्रवृत्ति के तहत छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान DBT से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दवारा एक मुश्त किया जाता है। राशि सीधे ही विद्यार्थियों के खातों में PFMS द्वारा स्थानांतरित की जाती है। प्रत्येक राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों को छात्रवृत्ति की संख्या केन्द्र सरकार द्वारा आवंटित की गई है। राजस्थान राज्य का कोटा **5471** हैं।

नवीन संशोधित पात्रता मापदंड –

1. कक्षा 8 के राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी।
2. अभिभावक/माता–पिता की सभी स्रोतो से वार्षिक आय 3.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
3. कक्षा 9 तथा कक्षा 11 प्रथम प्रयास में उतीर्ण होना अनिवार्य है तथा कक्षा 10 में 60 प्रतिशत प्राप्तांक अनिवार्य है।

कौन पात्र नहीं है –

1. जवाहर नवोदय विद्यालय, केन्द्रीय विद्यालय एवं सैनिक [illegible]

Signature valid
Digitally signed by Sunita Chawla
Designation: Deputy Director
Date: 2024.11.18 1[illegible]:23:47 IST
Reason: Approved

2. राज्य सरकार द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र जहाँ बोर्डिंग, लॉजिंग और शिक्षा जैसी सुविधाएँ प्रदान की जाती है।
3. निजी विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र।
4. राजकीय छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थी।
5. राजकीय अनुदानित विद्यालय व स्थानीय निकाय द्वारा संचालित विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी ।

पात्रता व छात्रवृत्ति की निरन्तरता हेतु न्यूनतम उत्तीर्णांक

क.सं.	कक्षा	न्यूनतम प्राप्तांक
1	7	55
2	8	55
3	9	स्पष्ट उत्तीर्ण
4	10	60
5	11	स्पष्ट उत्तीर्ण

SC और ST श्रेणी के विद्यार्थियों को 5 प्रतिशत की छूट है। विद्यार्थी कक्षा 7, 8 एवं 10 में न्यूनतम प्राप्तांक से कम प्राप्तांक होने पर अपात्र होगा व चयन परीक्षा में पात्र होने पर भी छात्रवृत्ति हेतु अपात्र माना जायेगा।

NMMSS आवेदन प्रक्रिया

NMMSS चयन परीक्षा आवेदन प्रक्रिया निम्न चरणो में पूर्ण होती है :–

1. **NMMSS परीक्षा के लिए आवेदन–** प्रति वर्ष शाला दर्पण के माध्यम से पात्र विद्यार्थियों से आवेदन मांगे जाते है। परीक्षा के लिए संस्था प्रधान द्वारा पात्र विद्यार्थी का ऑनलाइन आवेदन शालादर्पण के माध्यम से करना होगा। आवेदन करने के बाद हार्डकापी निकालकर आवश्यक दस्तावेज लगाए।

   यह परीक्षा केवल एक ही बार होती है तथा छात्रवृत्ति चार वर्षो तक मिलती हैं । यदि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन किया जाता है तो दिव्यांगता का प्रमाण पत्र लगाएं। मूल आवेदन सम्बंधित विद्यालय में सुरक्षित रखें। परीक्षा में सफल विद्यार्थियों के आवेदन चार साल तक तथा असफल विद्याार्थियों के आवेदन पत्र एक वर्ष तक विद्याालय में सुरक्षित रखें। **किसी भी परिस्थिति में ऑफलाइन आवेदन स्वीकार्य नही हैं।**

Signature valid
Digitally signed by Sunita Chawla
Designation: Deputy Director
Date: 2024.11.18 16:23:47 IST
Reason: Approved

2. **NMMS आवेदन पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज–**

- कक्षा 7 की अंकतालिका/प्रमाण पत्र (केवल राजकीय विद्यालय से 55 प्रतिशत प्राप्तांक सहित) ऽजाति प्रमाण पत्र
- माता–पिता का आय प्रमाण–पत्र (अनिवार्य)
- दिव्यांग प्रमाण पत्र (यदि लागू होता है)
- राजस्थान का मूल निवास, प्रमाण–पत्र
- आधार कार्ड और बैंक पास बुक की छायाप्रति

3. परीक्षा पैटर्न–

चयन परीक्षा का प्रश्न पत्र निम्नानुसार होगा–

क्र.स.	परीक्षण	परीक्षा पैटर्न	समयावधि
1.	मानसिक योगयता परीक्षण (MAT) बहुविकल्पीय 90 प्रश्न	विद्यार्थियों की तर्क क्षमता और आलोचनात्मक सोच, समानता, वर्गीकरण, संख्यात्मक श्रृंखला, पैटर्न धारणा, छिपे हुए आंकडे आदि प्रत्ययों पर आधारित।	कुल 180 मिनिट **(विशेष आवश्यकता वाले परीक्षार्थियों को 30 मिनट का अतिरिक्त समय)**
2.	शैक्षिक योग्यता परीक्षण (SAT) बहुविकल्पीय 90 प्रश्न	शैक्षिक योग्यता परीक्षा में कक्षा 7 व 8 के स्तर के विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और गणित विषयों के प्रश्न।	

इस हेतु पाठ्यक्रम शाला दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध हैं।

4. परीक्षा परिणाम – चयन परीक्षा के बाद सभी परिक्षार्थियों का परिणाम घोषित किया जाएगा। NMMS योजना में राजस्थान राज्य का कोटा (छात्रवृत्ति संख्या) 5471 है। जिसका जिलेवार और श्रेणीवार वर्गीकरण किया हुआ है। अतः छात्रवृत्ति की पात्रता के लिए जिला मेरिट में आना आवश्यक है। आवेदकों को चयन परीक्षा में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने है। SC व ST श्रेणियों के आवेदकों को इस NMMSS छात्रवृत्ति पात्रता लिए न्यूनतम कट ऑफ अंक 32 प्रतिशत हैं। दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों को अपनी श्रेणी में 3 प्रतिशत आरक्षण नियमानुसार देय है।

5. परीक्षा शुल्क मुक्ति – नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कोलरशिप स्कीम (NMMSS) 2024 चयन परीक्षा के परीक्षार्थियो के लिये राजस्थान सरकार शिक्षा (ग्रुप–6) विभाग के पत्र क्रमांक पं 19 (1) शिक्षा –6/201[illegible] दिनांक [illegible] 2022 के अनुसार चयन परीक्षा शुल्क मुक्ति की स्वीकृति प्रदान कर दी [illegible] है अत: किसी भी प्रकार का आवेदन शुल्क देय नही हैं।

6. परीक्षा में चयन के बाद करणीय कार्य

Signature valid
Digitally signed by Su[illegible]a Chawla
Designation : Deputy Director
Date: 2024.11.18 1[illegible]:23:47 IST
Reason: Approved

(i)छात्रवृत्ति के लिए आवेदनः– परीक्षा में चयनित विद्यार्थियों को कक्षा 9 में प्रवेश लेने के बाद नेशनल स्कोलरशिप पोर्टल (NSP) पर पंजीकरण कराना होगा तथा कक्षा 12 तक हर वर्ष नवीनीकरण कराना होगा। **पंजीकरण और नवीनीकरण विद्यार्थी/अभिभावक द्वारा किया जाएगा** तथा इस आवेदन का प्रिन्ट निकालकर संस्था प्रधान को जमा कराना है। नवीनीकरण के अभाव में शेष वर्षों की छात्रवृत्ति के लिए छात्र अपात्र हो जाएगें। सफल विद्यार्थियों के आवेदन पत्र 4 वर्ष तक तथा असफल विद्यार्थियों के आवेदन पत्र एक वर्ष तक विद्यालय रिकार्ड में रखना आवश्यक है।

(ii)वेरिफिकेशन :–नेशनल स्कोलरशिप पोर्टल (NSP) पर विद्यार्थी की लोगिन आईडी से पंजीकरण या नवीनीकरण करने के बाद सम्बन्धित संस्थाप्रधान तत्पश्चात् जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक (मु.) द्वारा वेरिफिकेशन किया जाता है।

प्रभारी अधिकारी
छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन प्रकोष्ठ
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

Signature valid
Digitally signed by Sunita Chawla
Designation: Deputy Director
Date: 2024.11.18 1?:23:47 IST
Reason: Approved